(i) Action Taken on 95th Report of PAC (10th Lok Sabha) relating to "Integrated Rural Development Programme".

(ii) Action Taken on 15th Report of PAC (11th Lok Sabha) relating to "Irregular Expenditure on Local insulation of GI Wire".

(iii) Action Taken on 24th Report of PAC (11th Lok Sabha) relating to "The Advance Licensing Scheme."

MOTION FOR ELECTION TO THE INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH SOCIETY

THE MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI SUNDER LAL PATWA): Sir, I beg to move the following Motion :—

"That in pursuance of sub-rule (vii) of rule 4, read with rule 9 of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research Society, this House do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, two Members from among the Members of the House to be the Members of the Indian Council of Agricultural Research Society".

The question was put and the motion was adopted.

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT BUSINESS

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष गंगवार) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं सूचित करता हूं कि सोमवार, 24 अप्रैल 2000 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

1. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा ।

2. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विनियोग रेल (संख्या -2) विधेयक 2000 पर विचार और लौटाया जाना।

3. निम्नलिखित मंत्रालयों के कार्यपालन पर चर्चा :

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ।

(ख) कृषि मंत्रालय ।

SPECIAL MENTIONS

Improper arrangements to bring back the Haji Pilgrims

श्री रमाशंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आपकी अनुमति से बड़े अफसोस के साथ इस सदन के समक्ष यह सत्य रखना चाहता हूं कि इस बार हज यात्रा में केन्द्रीय सरकार, विदेश मंत्रालय और विभिन्न प्रदेशों की हज कमेटियों और हमारी केन्द्रीय हज कमेटी ने अपने दायित्व की पूर्ति वहां पर नहीं की जिसके फलस्वरूप हजारों हज यात्री जो हज यात्रा के लिए गए थे, उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । उनके रहने की व्यवस्था के संबंध में यहां से बहुत से अधिकारीगण जाते हैं जिनको हज असिस्टेंट कहा जाता है । विभिन्न प्रदेशों की हज कमेटियों द्वारा सेवादार के नाम से या खादिम के नाम से जो लोग होते हैं, उनको भी सरकारी खर्चे पर वहां भेजा जाता है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी हज असिस्टेंट भेजा जाता है । उनका दायित्व होता है कि वह वहां पर हज यात्रियों की जो आवश्यकताएं हैं, उन हज यात्रियों को जो जानकारियां देनी हैं, उनको जो लाने और ले जाने की सुविधा प्रदान करनी है, उसके बारे में सब कुछ बताएं । लेकिन महोदय, इस बार ऐसा हुआ है कि हज यात्रियों को अपने कैम्प ढूंढने में भी पूरा-पूरा दिन खर्च करना पड़ा लेकिन उन्हें अपना कैम्प नहीं मिला । हमारे जो हज असिस्टेंट सरकारी स्तर पर गये थे, जो हज कमेटियों के खादिम या सेवादार वहां गये थे, उनकी तरफ से कोई भी सूचना या जानकारी हज यात्रियों को नहीं दी गयी । श्रीमन्, उनको वापस लाने के लिए जो अव्यवस्था केंद्रीय सरकार की ओर से, विदेश मंत्रालय की ओर से हुई, वह बहुत आश्चर्यजनक है । जिन लोगों को 24, 25 और 26 तारीख की फ्लाइट्स से जाना था, जिनको सूचना दी गई थी कि आपको इन तारीखों पर जाना है, उन तारीखों पर कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं थी और उनको 29 तारीख को ही भेजा जा सका । हवाई अड्डे पर वे हज यात्री पड़े रहे, सड़क पर पड़े रहे, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और उन्हें पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं हुई कि किस प्रकार से उन्हें कब जाना है, कैसे जाना है । इसी प्रकार से 1 से लेकर 7 अप्रैल तक वहां निरंतर आपाधापी रही, सैकड़ों हज यात्री सड़कों पर पड़े रहने के लिए मजबूर हुए । हवाई अड्डे वाले उन्हें खदेड़ देते थे और उन्हें सड़कों पर पनाह लेनी पड़ती थी । ऐसी दुर्दशा और इतनी कुव्यवस्था केंद्रीय सरकार की ओर से और हमारी हज कमेटियों की ओर से